

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय कवास पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 15.12.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र कवास पर पत्रावली पेश हो।

  
उपेन्द्र सिंह अधिकारी बाड़मेर

15.12.2021

पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र कवास पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। उत्तरदाता अनुपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हरूपाणियों की ढाणी के खसरा नंबर 214/32 रकबा 25.00 बीघा भूमि में प्रार्थी राऊराम पुत्र अर्जुनराम ने अपने नाम की शुद्धि हेतु राजस्व अपील संख्या 05/2020 में भू0रा0अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में अपना नाम रावताराम पुत्र अर्जुनराम करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील के संबंध में निवेदन है कि उक्त खसरा नंबर की भूमि में प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग केम्प काऊ का खेडा में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके निर्णय की पालना में ग्राम हरूपाणियों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 160 नाम शुद्धी का स्वीकृत हो चुका है। जिसका कि उक्त भूमि में जमाबंदी मे अमलदरामद किया जा चुका है। जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि सलंग्न प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी प्रार्थी का नाम खसरा नंबर 214/32 रकबा 25.00 बीघा भूमि में प्रार्थी का नाम राऊराम के स्थान पर रावताराम की शुद्धी की जा चुकी है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा स्वयं का नाम सही कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई थी। प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प काऊ का खेडा दिनांक 02.11.2021 के अपीलान्ट का नाम रेकॉर्ड मे शुद्ध हो चुका है। चूंकि अब अपील मे किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

  
उपेन्द्र सिंह अधिकारी बाड़मेर